

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर,
जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

राजस्व क्रमांक - 01/ब-113/2016-17

पंजीयन क्रमांक - 19

दिनांक 25 फरवरी, 2017

पंजीयन प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम की 1951 [1951 का 30] की धारा 2 की उपधारा (4) के अधीन मैं एस0आर0 कुर्रे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर, जिला बस्तर एतद् द्वारा कर विदिप एजुकेशनल ट्रस्ट, जगदलपुर, जिला बस्तर द्वारा प्रस्तुत बायलॉज (नियमावली) के आधार पर लोक न्यास (ट्रस्ट) पंजीयन करता हूँ।

- 2- ट्रस्ट को शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 3- ट्रस्टी के परिवर्तन अथवा बायलॉज में संशोधन होने की दशा में जानकारी तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4- ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत बायलॉज (नियमावली) का पालन नहीं करने पर पंजीयन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 5- विदिप एजुकेशनल ट्रस्ट, जगदलपुर, जिला बस्तर का पंजीयन आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



(एस0आर0 कुर्रे)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
लोक न्यास का पंजीयक, जगदलपुर
जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)